। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार, पौडी गढ़वाल।
उपस्थितः   ईशाँक   , उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा,
फौ0 सं0 2215/2022
गजेन्द्र सिंह बनाम प्रेम सिंह नेगी
धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम

दिनांक 12.08.2024

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुना। स्वीकृत। अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवेश रावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुना। स्वीकृत।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि WRIT PETITION (CIVIL) NO. 18 OF 2013 Indian Bank Association & Anr. On 21 January , 1947 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि " Court should direct the accused ,when he appears to furnish a bail bond, to ensure his appearance during trial and ask him to take notice under Section 251 Cr.P.C, to enable him to enter his plea of defence evidence, unless and application is made by the accused under Section 145(2) for re calling a witness for cross examination."

यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO WRIT PETITION (CRIMINAL) NO, 02 /2020,Titled sd "In Re: Expeditious trial of cases under Section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881 में दिनॉक 16.04.2021 को आदेश पारित करते हुए अन्य बातो के अतिरिक्त पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अपराध के संक्षिप्त विचारण को समन विचारण में परिवर्तित करने से पूर्व उक्त के आधार अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अन्तर्गत विचारण चाहने का कथन किया है तथा परिवादी से जिरह किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा । उक्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण को संक्षिप्त विचारण से समन विचारण में परिवर्तित करते हुए अभियुक्त को परिवादी से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है।

तद्नुसार पत्रावली प्रतिपरीक्षा परिवादी हेतु दिनांक 13.09.2024 को पेश हो।

(ईशाँक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार पौडी गढवाल।